1-11-17 वादी बंटवारे की [illegible] नहीं चलाना चाहता है [illegible]	पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादि एंव प्रतिवादी सं० 1 ता 5 तथा 6 की ओर स्वंय उपस्थित होकर राजिनामा पेश किया है इनकी पहचान इनके अभिभाषकगण द्वारा कि गयी है। पक्षकारो के सहमती व्यक्त किये जाने पर राजिनामा तस्दिक किया जाता है तथा पत्रावली मे शामील किया गया है। वादी बंटवारा का वाद नही चलाना चाहता है। बंटवारे हेतु सहायता नही चाहता है। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनाक 6-11-17 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	[illegible]
6-11-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 8-12-17 को पेश हों।	
8-12-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 10-1-18 को पेश हों।	
10-1-18	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुयी वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। राजीनामा पत्रावली मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तथा 6 के मध्य वाद ग्रस्त सम्पदाओ के संबन्ध मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामा को पक्षकारान को पढकर सुनाया व सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (द्वितीय) मुकाम सीकर

भंवर लाल बनाम संतोष

किस्म मुकदमा दावा नं. 25 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व समझाया जाकर उनके द्वारा सहमती जाहिर करने के बाद मे तस्दीक किया गया है। राजीनामा स्व० निवाराम पुत्र बिडदाराम के वारीसो के प्रस्तुत किया है। जिसमे प्रतिवादी सख्या 5 मंजु पुत्री निवाराम के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जा चूकी है। अतः राजिनामा के आधार पर ग्राम धर्मशाला तहसील व जिला सीकर की तन मे भूमी ख० न० 1596 रकबा 0.03 हैक्टर ख० न० 1597 रकबा 0.04 हैक्टर ख० न० 1603 रकबा 1.12 हैक्टर ख० न० 1604 रकबा 1.50 हैक्टर ख० न० 2028 रकबा 5.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.89 हैक्टर एंव ख० न० 1601 रकबा 1.12 हैक्टर ख० न० 1602 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 हैक्टर मे से 1.33 हैक्टर तथा ख० न० 1585 रकबा 0.56 हैक्टर ख० न० 1586 रकबा 0.06 हैक्टर ख० न० 1595 रकबा 2.94 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.06 हैक्टर ख० न० 1595 रकबा 3.55 हैक्टर मे से मृतक खातेदार नीवाराम पुत्र बिडदा के 1/6 हक हिस्से मे वादी भंवर लाल का 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी स० 3 लगायत 6 क्रमशः हरा सिंह, सुभाष, मंजु एव सुमित्रा	वादी व अधि० पैरवीकर्ता हीरालाल सन्तोष नागरमल धारासिंह सुभाष पहचानकर्ता Agarwal

Left margin notes: वादी / मय अधि० / पैरवीकर्ता / प्रति० 1 संतोष / प्रति० 2 नागरमल / प्रति० 3 धारासिंह / प्रति० 4 सुभाष / पहचानकर्ता Agarwal Adv. / प्रति० 6 सुमित्रा / पहचानकर्ता Agarwal

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहायक कलेक्टर (द्वितीय)	

तथा भीवाराम की पत्नी रामकोरी प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा अधिकार एवं खातेदारी कि उद्घोषणा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त किया जाने की आज्ञा जारी की जाती है। तथा ख०न० 150 रकबा 0.34 हैक्टर (नवीन ख०न० 3274/1540, 3275/1540) एंव ख०न० 1587 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता-2 कुल रकबा 0.53 हैक्टर एंव वाणिज्यक प्रयोजनार्थ हुए भू-रूपान्तरण को वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार एक मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्रीमती संतोष व श्रीमती भगोती देवी के नाम राजस्व रिकार्ड मे रहे। अन्य खातेदारान का भी हक हिस्सा इसके अतिरिक्त वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार यथावत रहे। वादी ने बंटवारे के वाद अ० धारा 53 मे सहायता नही चाहने तथा बंटवारे का वाद विड्रा करने पर प्राथमीक डिक्री जारी नही की जावे। अत: वादी का वाद अ० धारा 53 रा०का० अधिनियम का खारीज किया जाता है। केवल राजिनामा के अनुसार उद्घोषणा की जाती है। राजीनामा की के अनुसार अन्तीम निर्णय किया जाता है इसी अनुसार अन्तीम डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सीकर को तहरीर जारी हो। पत्रावली मीशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजवीज तकमील दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 10-1-18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर